

गवालियर

विकसित भारत के लिये संकल्प है बजट : चाहर

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजट उपलब्धि गिाने गवालियर आये

नवभारत न्यूज गवालियर, 07 फरवरी। केन्द्र की मोदी सरकार का बजट इस बार हर क्षेत्र में उपलब्धि लायेगा। बजट से किसान जहाँ और अधिक समृद्ध होगा। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भी काफी काम होंगे। यह बात शनिवार को भाजपा किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कही।

भाजपा नेतृत्व द्वारा मोदी सरकार के बजट की उपलब्धियां जन जन को बताने के अभियान के तहत गवालियर आये सांसद चाहर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आर्थिक और समृद्धशाली व विकसित भारत बनाने के लिये 2047 का संकल्प लिया है, उसी के तहत यह बजट एक



सार्थक प्रयास है। सांसद चाहर ने कहा कि सेना द्वारा आपरेशन सिंदूर के बाद से सेना को मजबूत करने के लिए बजट में 7 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार की एवं बजट की उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास सभी क्षेत्रों में मजबूती देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट युवा शक्ति को मजबूती प्रदान करने वाला है और गांव, गरीब किसान, मजदूर, महिलाएं, एससी-एसटी, ओबीसी सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुये सबका साथ सबका विकास इसको चरितार्थ करने वाला बजट है।

जोड़ने की योजना है जिससे कौशल विकास को बढ़ावा देना है। बजट में एमएसएमई को मजबूत करने के साथ ही 10 हजार करोड़ की योजना का प्रावधान किया गया है। स्वावलंबी भारत के तहत बढ़ावा देने के लिये प्रस्तुत बजट में प्रावधान किया है वहीं माल को ढोने के लिये कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने भी बजट के प्रावधानों में रखा गया है।

किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये नदी जोड़ो के तहत कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना और आत्म निर्भर भारत को बढ़ावा देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। पत्रकार वार्ता में मंत्र के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद गवालियर भारत सिंह कुशवाहा, मुरैना सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, ग्रामीण अध्यक्ष प्रेमसिंह राजपूत, विधायक जैन, दीपक शर्मा, जयप्रकाश प्रजापति आदि मौजूद थे।



जैन तीर्थ रक्षा अभियान के तहत जैन मिलन की धार्मिक यात्रा रवाना

जैन मिलन के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने धर्म ध्वजा दिखा कर यात्रा को किया रवाना

नवभारत न्यूज गवालियर, 7 फरवरी। जैन तीर्थ रक्षा अभियान के अंतर्गत जैन मिलन गवालियर द्वारा धार्मिक तीर्थ यात्रा भगवान के जयकारों के साथ गोपालचर से विधिवत रवाना की गई। यात्रा में समाजजनों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ सहभागिता करते हुए तीर्थों की रक्षा एवं संरक्षण का संकल्प लिया। यात्रा को जैन मिलन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एडवोकेट महेंद्र कुमार जैन टोंग्या, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शोला टोंग्या, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, राष्ट्रीय संरक्षक प्रवीण

गंगवाल, क्षेत्रीय संयोजक संजीव जैन तथा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार जैन पाटनी ने धर्म ध्वजा दिखाकर रवाना किया। जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि यह यात्रा पावापुरजी, ललितपुर, द्रोणागिरी, आहारजी, करगुवांजी आदि पावन तीर्थों के दर्शन करती हुई पुनः गवालियर लौटेंगी। यात्रा में जैन मिलन के अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन पहारिया, सचिव मृणाल जैन, कोषाध्यक्ष दीपक जैन, यात्रा संयोजक पंकज बाकलीवाल, हितेंद्र बोहरा, अखिलेश सोनी, महेंद्र जैन, बंटी, नवीन जैन, नीतीश बोहरा तथा रोहित जैन एडवोकेट सहित अनेक श्रद्धालु विशेष रूप से शामिल रहे।



बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गवालियर जिले के 150 गाँवों में घूमगा जागरूकता रथ

नवभारत न्यूज गवालियर 07 फरवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सेंट्र फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में गवालियर जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक भव्य जागरूकता रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गवालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा, कलेक्टर रुचिका चौहान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ गवालियर शहर के साथ-साथ जिले के लगभग 150 ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेगा। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य आमजन को बाल विवाह जैसी सामाजिक

कुप्रथा के विरुद्ध जागरूक करना, इसके दुष्परिणामों की जानकारी देना तथा इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों से अवगत कराना है। रथ के माध्यम से जनसंपर्क कर लोगों को बाल विवाह न करने एवं रोकने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाल विवाह को रोकने एवं इसके उन्मूलन हेतु निरंतर प्रयास करने की शपथ ली। जागरूकता रथ यात्रा आगामी 10 दिनों तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित की जाएगी। इस अवसर पर सेंट्र फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के अध्यक्ष उमेश वशिष्ठ, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजेन्द्र सोनी, मुस्ताक अहमद खान, ब्लॉक समन्वयक व सफल युवा मंडल अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा, राकेश सिंह, इमरान नेहा, रेशमा खान, यूसुफ खान, खान खान एवं शबाना खान सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

अधिकारियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाल विवाह को रोकने एवं इसके उन्मूलन हेतु निरंतर प्रयास करने की शपथ ली। जागरूकता रथ यात्रा आगामी 10 दिनों तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित की जाएगी। इस अवसर पर सेंट्र फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के अध्यक्ष उमेश वशिष्ठ, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजेन्द्र सोनी, मुस्ताक अहमद खान, ब्लॉक समन्वयक व सफल युवा मंडल अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा, राकेश सिंह, इमरान नेहा, रेशमा खान, यूसुफ खान, खान खान एवं शबाना खान सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

10 फरवरी से सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक लोगों स्कूल गवालियर 07 फरवरी। गवालियर जिले में फरवरी माह में मौसम सामान्य होने से 10 फरवरी से स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम नरुवेंदी ने जारी किया है। इस आदेश के अनुसार स्कूलों में 10 फरवरी से कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगी। यह आदेश गवालियर जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, एमपी बोर्ड सी.बी.एस.ई., आई. सी.एस. ई. एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लागू होगा।

पुलिस अधीक्षक गवालियर, जिला गवालियर (म.प्र.)
दूरभाष - 0751 - 2445200 फेक्स -0751-2445210
Email.ID-Sp_gwalior@mppolice.gov.in
क्र०/पुञ / ग्वा/रनि / 16/26 दिनांक-03/02/26

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

01. पुलिस अधीक्षक गवालियर द्वारा इकाई में प्रशासकीय भवन के कुल 04 नगर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मरम्मत / रिपैरिंग कार्य करायें जाने हेतु विद्योय वर्ष 2025-26 में मांग सख्या 003 -2055 पुलिस 00-001 निदेश एवं प्रशासन - 9999-9545 विभागीय परिसर/निर्माण का संशोधन 33-001 अनुसूचना मद के अंतर्गत स्वीकृत 04 कार्य को मय सामग्री लेवर चार्ज सहित कराने के लिये आवश्यक जानकारी एवं टेण्डर फार्म इच्छुक निविदाकारों के लिये निविदा शुल्क रुपये 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) अधोहस्ताक्षर के पक्ष में ऑनलाईन जमा कर विज्ञापन जारी होने के लिये दिनांक से 05/02/26 समय 10 बजे से प्राप्त किया जा सकता है।

02. निविदा को विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर भी उपलब्ध है।

03. निविदा प्रकाशन दिनांक 04/02/26 के समय 17:00 बजे से है।

04. ऑनलाईन निविदा जमा करने की आरंभ तिथि 05/02/26 के 10:00 बजे तक है।

05. ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 11/02/26 के 17:00 बजे तक है।

06. निविदा खोलने की दिनांक 13/2/26 को समय 12 बजे से कार्यालय स्थित निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय गवालियर में खोली जायेगी। निविदायें खोलने के अवसर पर निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, इसी दिन टेकनीकल कमेटी फर्मों से प्राप्त दस्तावेजों का भी परीक्षण करेगी।

G-25488/25
पुलिस अधीक्षक जिला गवालियर

नामांकन विज्ञापित / आम सूचना
एतद् द्वारा सर्वसम्मान को सुचित किया जाता है नगर निगम गवालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संघर्षित क्षेत्र. क्र. 03 वाई क्र. 07, भवन क्र. ... स्थान: 232, अंतर्गत मेरी संघर्षित क्षेत्र. क्र. 03 वाई क्र. 07, भवन क्र. 1682, स्थान: मेवाती मोहल्ला पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती निजाम खान / श्री कल्प खान के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्र. 90001182627 पर रजि. है। जिसका क्षेत्रफल 621 वर्गफुट है। उक्त संघर्षित को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रम - पर क्र. A-100432393 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा प्रदाय किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आधारे की पूर्ण सम्पत्तिकर एवं अन्य उल्कर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन धारा ऑनलाईन आज दिनांक 07.02.2026 को किया गया है जिसका आवेदन क्र. है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम गवालियर, सिटी सेंटर में रिक्त सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। निम्न अवधि पश्चात् कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तिपूर्वक निर्णय लिया जायेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती रेनु गोवाल / श्री सुनील गोवाल
पता: 282, अंतर्गत मेरी संघर्षित क्षेत्र, वाई-07
विज्ञापित जारी दिनांक: 07-02-2026

नामांकन विज्ञापित / आम सूचना
एतद् द्वारा सर्वसम्मान को सुचित किया जाता है नगर निगम गवालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संघर्षित क्षेत्र. क्र. 03 वाई क्र. 07, भवन क्र. 1682, स्थान: मेवाती मोहल्ला पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती निजाम खान / श्री कल्प खान के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्र. 90001182627 पर रजि. है। जिसका क्षेत्रफल 640 वर्गफुट है। उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रम - पर क्र. 2889 दिनांक 30.12.2003 के द्वारा प्रदाय किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आधारे की पूर्ण सम्पत्तिकर एवं अन्य उल्कर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन धारा ऑनलाईन आज दिनांक 07.02.2026 को किया गया है जिसका आवेदन क्र. है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम गवालियर, सिटी सेंटर में रिक्त सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। निम्न अवधि पश्चात् कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तिपूर्वक निर्णय लिया जायेगा।

आवेदक का नाम/पता
आशिक खान / श्री युसुफ खान
पता: मेवाती मोहल्ला पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती निजाम खान / श्री कल्प खान के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्र. 90001182627 पर रजि. है। जिसका क्षेत्रफल 640 वर्गफुट है। उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रम - पर क्र. 2889 दिनांक 30.12.2003 के द्वारा प्रदाय किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आधारे की पूर्ण सम्पत्तिकर एवं अन्य उल्कर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन धारा ऑनलाईन आज दिनांक 07.02.2026 को किया गया है जिसका आवेदन क्र. है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम गवालियर, सिटी सेंटर में रिक्त सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। निम्न अवधि पश्चात् कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तिपूर्वक निर्णय लिया जायेगा।

आवेदक का नाम/पता
सीताराम प्रजापति / श्री डेकूम प्रजापति
पता: मेवाती मोहल्ला पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती निजाम खान / श्री कल्प खान के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्र. 90001182627 पर रजि. है। जिसका क्षेत्रफल 640 वर्गफुट है। उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रम - पर क्र. 2889 दिनांक 30.12.2003 के द्वारा प्रदाय किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आधारे की पूर्ण सम्पत्तिकर एवं अन्य उल्कर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन धारा ऑनलाईन आज दिनांक 07.02.2026 को किया गया है जिसका आवेदन क्र. है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम गवालियर, सिटी सेंटर में रिक्त सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। निम्न अवधि पश्चात् कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तिपूर्वक निर्णय लिया जायेगा।

नामांकन विज्ञापित / आम सूचना
एतद् द्वारा सर्वसम्मान को सुचित किया जाता है नगर निगम गवालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संघर्षित क्षेत्र. क्र. 03 वाई क्र. 07, भवन क्र. 1682, स्थान: मेवाती मोहल्ला पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती निजाम खान / श्री कल्प खान के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्र. 90001182627 पर रजि. है। जिसका क्षेत्रफल 640 वर्गफुट है। उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रम - पर क्र. 2889 दिनांक 30.12.2003 के द्वारा प्रदाय किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आधारे की पूर्ण सम्पत्तिकर एवं अन्य उल्कर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन धारा ऑनलाईन आज दिनांक 07.02.2026 को किया गया है जिसका आवेदन क्र. है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम गवालियर, सिटी सेंटर में रिक्त सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। निम्न अवधि पश्चात् कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तिपूर्वक निर्णय लिया जायेगा।

आवेदक का नाम/पता
सीताराम प्रजापति / श्री डेकूम प्रजापति
पता: मेवाती मोहल्ला पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती निजाम खान / श्री कल्प खान के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्र. 90001182627 पर रजि. है। जिसका क्षेत्रफल 640 वर्गफुट है। उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रम - पर क्र. 2889 दिनांक 30.12.2003 के द्वारा प्रदाय किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आधारे की पूर्ण सम्पत्तिकर एवं अन्य उल्कर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन धारा ऑनलाईन आज दिनांक 07.02.2026 को किया गया है जिसका आवेदन क्र. है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम गवालियर, सिटी सेंटर में रिक्त सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। निम्न अवधि पश्चात् कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तिपूर्वक निर्णय लिया जायेगा।

कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला गवालियर म.प्र.

क्रमांक / वयू/3/ मा.रा. / खनिज / 2025-26/2085 गवालियर, दिनांक -02/02/2026

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 (1-क) के अंतर्गत उल्खनिपत्र

द्वितीय - सूचना

यह सूचित किया जाता है कि, आवेदिका दीपा मेवाफोरश निवासी रान्य कर्मचारी आवास गवालियर गिर्द गवालियर म.प्र. द्वारा उल्खनिपत्र प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15/12/2025 को प्रस्तुत किया गया है इस क्षेत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रथम सूचना क्रमांक- 1827 दिनांक-18/12/2025 प्रकाशित की गई थी। इस क्षेत्र पर पुनः दिनांक 21/02/2026 तक इस क्षेत्र पर याचार्थित उल्खनिपत्र / पूर्वेक्षण अनुज्ञति आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन ई-खनिज पोर्टल <http://ekhanij.mpp.gov.in> प्रस्तुत किये जायेंगे। विवरण निम्नानुसार है।

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार	खनिज का नाम	रिमाक
गवालियर	डबरा	लदेरा	676	3.200	शासकीय	गिट्टी एवं एम-सैण्ड	

1-उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञापित प्रकाशित होने को तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने को अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय यान 5:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2-यदि प्रकाशित विज्ञापित के उपरंत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रथम सूचना से पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं पत्र सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।

3-यदि इस प्रकाशित विज्ञापित में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। तो उपरोक्त अनियम में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञापित के संबंध में उल्खनिपत्र के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।

4-यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञापित के उपरंत भी निर्धारित समयविधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदन के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृत पर विचार किया जा जाएगा।

5-निर्धारित समयविधि के उपरंत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी
खनिज शाखा
जिला गवालियर

अलमारी में रखी नगदी सहित जेवर ले गए चोर

गवालियर। घर के गेट का ताला तोड़कर अंदर पहुंचे चोर कमरे में रखी अलमारी में से नकदी व जेवरात चोरी कर ले गए। चोरों ने भगवान की मूर्ति भी नहीं छोड़ी। घटना ठाटीपुर थाना क्षेत्र के न्यू मेहरा कॉलोनी में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात की है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। रामश्री जाटव निवासी न्यू मेहरा कॉलोनी किसी काम से बाहर गई थीं। गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात अज्ञात चोर ताला तोड़कर अंदर पहुंचे और कमरों की तलाशी ली। एक कमरे में रखी लोहे की अलमारी तोड़कर उसमें रखी सोने की चेन, चांदी की करधनी, पायल, चांदी की लक्ष्मी जी की प्रतिमा तथा 500 के नोट जिनकी कीमत 10 हजार रुपए थी चोरी कर ले गए। चोरी गए सामान की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए बताई गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में गवालियर की जिला स्तरीय विकास सलाहकार समिति गठित

जनप्रतिनिधियों और नामांकित सदस्यों के साथ शहर विकास के लिये बनी समिति

नवभारत न्यूज गवालियर 07 फरवरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा नामित प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिला विकास सलाहकार समिति के गठन का आदेश जारी किया है। कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला विकास सलाहकार समिति मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में रहेगी। समिति में उपाध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट होंगे। इस समिति में सदस्य के रूप में सांसद भारत सिंह कुशवाहा, महापौर शोभा सतीश सिकरवार, जिला

पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव, जिले के विधानसभा क्षेत्र 14 के विधायक साहब सिंह गुर्जर, विधानसभा क्षेत्र 15 के विधायक एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, विधानसभा क्षेत्र 16 के विधायक डॉ. सतीश सिकरवार, विधानसभा क्षेत्र 17 के विधायक एवं मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, विधानसभा क्षेत्र 18 भितरवार के विधायक मोहन सिंह राठौर एवं विधानसभा क्षेत्र 19 के विधायक सुरेश राजे शामिल हैं। समिति में जिले के समस्त जनपद अध्यक्ष, जनपद पंचायत मूपर दिलीप सिंह उर्फ दिलराज किरार, जनपद अध्यक्ष घाटीगाँव वर्षा दिलीप रावत, जनपद पंचायत डबरा प्रवेश मेहावत सिंह गुर्जर और जनपद पंचायत भितरवार लक्ष्मीराजे सदस्य के रूप में रहेंगे। इसके साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा उद्योग, व्यापार, प्रतिशील किसान,

समाजसेवी, चिकित्सक, विधि आदि क्षेत्र के 20 प्रतिनिधियों को भी समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इनमें चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, व्यवसायी दीपक बंसल, चिकित्सक डॉ. बी आर श्रीवास्तव, कृषक गिरवाई सरमन सिंह कुशवाहा, जममेजय चौरसिया, व्यवसायी मयंक गर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता इन्द्रनाथ जनवार, पूर्व मंत्री इमरती देवी, चिकित्सक डॉ. प्रियंवदा भरीन, जनप्रतिनिधि वेदकाश शर्मा, राहुल अग्रवाल, समाजसेवी अनूप कुशवाहा, पूर्व विधायक मुन्नालाल गायल, व्यापारी प्रतिनिधि नेमोचंद शिवदरे, शिक्षाविद युवराज सिंह तोमर, हरसी कृषक अमिताभ सिंह, अविष्कटा डी सी पटेलिया, समाजसेवी अशोक अग्रवाल, व्यवसायी आशीष प्रताप सिंह राठौर एवं जनप्रतिनिधि अलबेल सिंह घुरिया शामिल हैं। जिला विकास सलाहकार समिति की सदस्य सचिव कलेक्टर रुचिका चौहान रहेंगी।

शहर में यातायात प्रबंधन के लिये सार्थक प्रयास हों - सांसद कुशवाहा

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज गवालियर 07 फरवरी। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये सभी विभागों के समन्वय से सार्थक प्रयास हों। यातायात प्रबंधन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने जिला यातायात समिति की बैठक में यह बात कही। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में शनिवार को आयोजित हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में विधायक भितरवार मोहन सिंह राठौर, विधायक डबरा सुरेश राजे, विधायक गवालियर ग्रामीण साहब सिंह गुर्जर, भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत, कलेक्टर रुचिका चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय, एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल सहित समिति के सदस्य दीपक अग्रवाल, डॉ. राकेश अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने बैठक में ब्लैक स्पाट, विद्युत पोल शिफ्टिंग, पार्किंग व्यवस्था,



आईएसबीटी व अन्य बस स्टैण्डों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें

सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि आईएसबीटी से बसों का आवागमन जल्द से जल्द शुरू कराए। उन्होंने आईएसबीटी के अनुसार बसों के परमिटों में बदलाव की कार्रवाई जल्द से जल्द पूर्ण हो। बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में आईएसबीटी से भिण्ड व मुरैना की ओर आने-जाने वाली बसों का संचालन प्रस्तावित है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि इसके लिये शीघ्र ही संयुक्त बैठक आयोजित की जायेगी।

यातायात नियंत्रण के लिये सीसीटीवी कैमरे, स्कूल बस के नियमित परीक्षण के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यातायात प्रबंधन के लिये शहर में वैकल्पिक मार्गों का चिन्हांकन भी किया जाए। इसके लिये लोक निर्माण विभाग,

पुलिस विभाग, नगर निगम एवं परिवहन विभाग का संयुक्त दल गठित किया जाए। यह दल सम्पूर्ण शहर में यातायात प्रबंधन के लिये वैकल्पिक मार्गों का चयन करे ताकि वैकल्पिक मार्गों को व्यवस्थित कर यातायात को और सुदृढ़ बनाया जा सके। क्षेत्रीय सांसद कुशवाहा ने पोल

शिफ्टिंग की समीक्षा करते हुए कहा है कि यातायात में बाधाक सभो पोल शिफ्टिंग का कार्य तत्परता के साथ किया जाए। नगर निगम एवं विद्युत मंडल के अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्य को तीव्र गति से करें।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि हजौरा से चार शहर का नाका तक प्लाईऑफ निर्माण का प्रस्ताव एवं एजी ऑफिस से चन्द्रबददी नाना तक सिक्ससेलेन सड़क निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार किया जाए। क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि सफाई सिटी एवं नगर निगम के माध्यम से शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की निरंतर मॉनिटरिंग कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध

कार्रवाई की जाए। उनके सुधार का कार्य संबंधित विभागीय अधिकारी अभियान के रूप में करें। की गई कार्रवाई से आगामी बैठक में अवागत कराया जाए। बैठक में स्कूल बसों की नियमित जाँच के आदेश भी दिए गए। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले में यातायात प्रबंधन के लिये किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने पुलिस विभाग के माध्यम से यातायात प्रबंधन के लिये किए गए कार्यों के संबंध में प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने नगर निगम के माध्यम से सड़कों के लिये किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए आगामी दिनों में होने वाले कार्यों को भी जानकारी दी।

निःशुल्क हृदय रोग जाँच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन आज

नवभारत न्यूज गवालियर, 07 फरवरी। सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अगे बढ़ाते हुए माथुर वैश्य इंटरनेशनल, लखर क्लब गवालियर के तत्वावधान में निःशुल्क हृदय रोग चिकित्सा एवं जाँच शिविर का आयोजन 8 फरवरी, रविवार को किया जा रहा है। शिविर का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें शहर एवं आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को हृदय

संबंधी रोगों को निःशुल्क जाँच, परामर्श एवं उपचार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। शिविर में प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष चौहान द्वारा मरीजों का परीक्षण किया जाएगा तथा उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य हृदय रोगों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना, प्रारंभिक जाँच के माध्यम से गंभीर बीमारियों को रोकथाम करना तथा आमजन को विशेषज्ञ सेवाएँ

सुलभ कराना है। इस सेवा अभियान में विशेष सहयोग नारायणा ई-टेकनो स्कूल, सी-ब्लॉक, आनंद नगर, गवालियर द्वारा प्रदान किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्राचार्य निधि कुलकर्णी एवं प्रतिनिधि अद्वाना कादिर ने अधिक से अधिक लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। आयोजकों ने बताया कि हृदय रोग आज तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, ऐसे में समय रहते जाँच और परामर्श अत्यंत

आवश्यक है।

CHANGE OF NAME
I, SHILA Mother of Army Service No. 21016564X, Rank-L/NK (Gnr), Name- MUTHAL RAHUL DNYANBA Residing at At. Kamathwada, Post- Bhat Umara, Tehsil- Washim, District- Washim, State- Maharashtra, Pin- 444505 have changed my Name from SHILA to SHILA DNYANBA MUTHAL due to mismatch in my Son's Army Service Record.
Vide Affidavit No. DC 540659 Dated 02/02/2026 before High Court, Gwalior M.P.

प्रेषक-जे. पी. शर्मा (एडवोकेट)
कार्यालय - 5, सोमिल कॉम्प्लेक्स, आथक भवन के पास, सिटी सेंटर गवालियर (म.प्र.) मो. 09425338053